ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

करण सख्या : 33/2017

गोबरीलाल पुत्र बदर्या जाति मेहर निवासी माल बमोरी तहसील मांगरोल जिला बारां
.....प्रार्थी

बनाम

01. लड्डूलाल पुत्र बदर्या जाति मेहर निवासी मालबमोरी तहसील मांगरोल जिला बारां
02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
03. पूरणमल पुत्र स्व0 गंगा बाई पत्नि चतुर्भुज
04. रघुनाथ पुत्र स्व0 गंगा बाई पत्नि चतुर्भुज
05. गोगराज पुत्र स्व0 गंगा बाई पत्नि चतुर्भुज
06. गीता बाई पुत्री स्व0 गंगा बाई पत्नि चतुर्भुज
07. प्रकाशी पुत्री स्व0 गंगा बाई पत्नि चतुर्भुज

जातिगण मेहर निवासीगण चेनपुरिया बमूलिया तहसील बारां जिला बारां

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

वकील अप्रार्थी : श्री महेन्द्रसिंह हाडा

दायरा दिनांकः 12.12.2017 निर्णय दिनांक : 23.06.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के शामलाती खाते की आराजी ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोल में स्थित है जिसका खाता संख्या 335 व खसरा नं. 175 रकबा 0.74 है0, खसरा नं. 847 रकबा 0.78 है0, खसरा नं. 896 रकबा 0.40 है0, खसरा नं. 1081 रकबा 1.83 है0, खसरा नं. 1360 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 1362 रकबा 0.04 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.01 है0 जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 से होती है।यह कि मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा अप्रार्थी नं. 1 का 1/3 हिस्सा व गंगा बाई (मृतक) पुत्री बदरिया का हिस्सा निहित है। गंगा बाई मृतक पुत्री बदरिया प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 की सगी बहिन है, और गंगा बाई को दोनो सगे भाई बुलाते चलाते है। गंगा बाई का दोनों भाई प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 पर बराबर प्रेम व स्नेह था। यह कि गंगा बाई को दोनो भाई के प्रति व स्नेह होने से गंगा बाई की इच्छा थी कि वह अपने 1/3 हिस्से की आराजी को दोनो भईयों को 1/6–1/6 हिस्से का हेक त्याग दोनो भाईयों के पक्ष में करें और इसी अनुसारण में गंगा बाई ने दिनांक 22.06.2015 को एक हक त्याग प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 के पक्ष में रूबरू गवाहान के समक्ष किया गया जिसका, पंजीयन उपपंजीयन मांगरोल बाहर होने से नही हो पाया। प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 एवं गंगा बाई तीनों सहखातेदारान के मध्य दिनांक 24.06.2015 को एक सहमति इकरारनामा रूबरू गवाहान राजेश वगै. के समक्ष लिखा गया एवं चन्द्रप्रकाश पारेता एडवोकेट नोटेरी से प्रमाणित करवाया गया।उक्त इकरारनामें में तीनो पक्षकार ने सहमति दी कि "शामलाती खाते की आराजी 335 खसरा नं. 896 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम माल बमोरी में स्थित है जो पारिवारिक विभाजन से हमें प्राप्त हुई है। जो कि सम्पूर्ण खसरा नं. 896 रकबा 0.40 है0 हमारे सगे भाई श्री गोबरी लाल की रहेगी जिससे हम मुकिरान का कोई वास्ता या सरोकार बाकी नही रहेगा, तथा बाकी सम्पूर्ण हमारे खाते की आराजी में 1/2 हिस्सा लड्डूलाल का व 1/2 हिस्सा

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

ी लाल का रहेगा, में मुकिरा गंगा बाई स्वेच्छा से दोनो भाईयों के पक्ष में हक त्याग कर ी हुँ जिसे भविष्य में पंजीयन करवा दूंगी।" इसके अनुसार प्रार्थी खसरा नं. 896 रकबा 0.40 0 को अपने खाते अलग से दर्ज कराने का अधिकारी है। वर्तमान में खसरा नं. 896 रकबा 0.40 है0 पर प्रार्थी ही काबिज काश्त है। अप्रार्थी नं. 1 ने गंगा बाई का सम्पूर्ण खाते में अपना 1/3 हिस्सा का 1/2 का हक त्याग अपने पक्ष में करवा लिया है जिसका इंतकाल 1334 दिनांक 11.07.2017 के अप्रार्थी नं. 1 के पक्ष में खुल चुका है। अब शामलाती खाते में गंगा बाई का 1/6 हिस्सा शेष बचा है जिसका प्रार्थी ने पुनः दिनांक 11.07.2016 को रूबरू बरूह गवाहान हक त्याग करवाया है लेकिन वह पंजीयन नही हो सका और उसके 15–20 दिन बाद ही गंगा बाई की मृत्यू हो गयी इसलिए प्रार्थी हिस्सा 1/6 को अपने नाम खाते में दर्ज करवाने का अधिकारी है। यह कि वर्णित आराजी मे प्रार्थी का सहमति इकरार नामा के अनुसार खसरा नं. 896 रकबा 0.40 है0 हिस्सा अलग है उसके अलावा शेष आराजी 3.61 है0 हिस्सा में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है जो (1.20 है0) बनता है। व हक त्याग के अनुसार गंगा बाई का 1/3 हिस्सा का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.60 है0 है इस तरह प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा आराजी में 0.40+1.20+0.60 कुल रकबा 2.20 है0 बनता है जिसको प्रार्थी पृथक से अपने खाते में दर्ज करा पा सकने का अधिकारी है वर्तमान में 2.20 है0 पर प्रार्थी काबिज काश्त है। अतः प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी नं. 1 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विवादित आराजी में गंगा बाई के शेष हिस्से की आराजी पर अप्रार्थी नं. 1 रहन विक्रय नही करे। किसी भी प्रकार दखलअंदाजी नही करे। प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे मोके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 12.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्राथी द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमे अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिंदुओं में से आंशिक बिंदुओ को स्वीकार किया एवं सह खातेदार गंगा बाई की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य बताया। एवं दिनांक 24.6.2015 को सह खातेदारान द्वारा प्रार्थी के पक्ष में लिखा गया इकरारनामा के अनुसार प्रार्थी को खसरा नं0 896 रकबा 0.40 है0 पर खातेदार अधिकार नही देना बताया एवं जवाब में बताया कि खातेदारी देने का अधिकार मात्र श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। उक्त जवाब के संबंध में प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें मृतका गंगा बाई के वारिसान को भी अप्रार्थीगण नं. 3 से 7 में शामिल कर पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थीगण 3 ता 7 बावजूद सूचना के अनूपस्थित रहे इस कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी । बहस में वकील पक्षकारान ने उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

1. प्रथम दृष्टया मामला : प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि को अनरजिस्टर्ड हक त्याग एवं इकरार नामे के आधार पर अपने नाम खातेदारी लगवाने का वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं. 1शामलाती खाते की भूमि में सह खातेदार की हैसियत से है । 1964 RRD पेज 88 के अनुसार साधारणतया एक सह अभिधारी किसी दूसरे सह अभिधारी के विरूद्ध आदेश प्राप्त नही कर सकते। रिकॉर्डेड सह खातेदार को किसी अन्य रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नही साबित होता है।
2. अपूर्णनीय क्षति : प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगणों को पैतृक विरासत से मिली है अप्रार्थी क्रमांक 1 ने गंगाबाई के हिस्से की भूमि का आधा हिस्सा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा लिया है एवं प्रार्थी द्वारा स्टाम्प पेपर पर सहमति इकरार नामा व हक त्याग पत्र लिखवाया गया किन्तु पंजीयन नही करवाया गया। वर्तमान में दोनो पक्षकार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है जिससे अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न ही नही उठता है। ऐसी स्थिति में अपूर्णनीय क्षति बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।
3. सुविधा का संतुलन : चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, राजस्व रिकोर्ड एवं उक्त तीनो बिन्दुओ की विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी कुमार विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (राज०)
मांगरोल

Scanned by CamScanner